न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय स्वत्व वाद सं0 -79/16
अवर न्यायाधीश सीआईएस संख्या -1052/18
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** दिनांक 08.02.2024

दिनांक 08.02.2024

वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी के द्वारा दिनांक 16.02.2023 को प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है। ।

वादी का कथन है कि मामले में वाद में वादी का साक्ष्य चल रहा है यह कि वादी की ओर से स्वत्व वाद सं0 161/04 का नालिस, सुलहनामा, निर्णय का पक्का नकल न्यायालय में दाखिल है इसका मूल दस्तावेज न्यायालय के अभिलेखागार में है यह कि स्वत्व वाद सं 161/04 को नहीं मांगने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रस्तुत अभिलेख मांगने की कृपा करें।

प्रतिवादी के द्वारा आवेदन के विरोध में प्रतिउत्तर नहीं दिया गया परंतु मौखिक रूप से आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली तथा दस्तावेज का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 161/04 का नालिस सुलहनामा, निर्णय की पक्का नकल दाखिल है ऐसी स्थिति में मूल अभिलेख जो न्यायालय के अभिलेखागार में जमा है उसे किस लिए मांगा जाए इसका उल्लेख आवेदन में नहीं है । न्यायाल की राय में जब किसी दस्तावेज के पक्का नकल अभिलेख के साथ संलग्न है तो ऐसी स्थिति में मूल अभिलेख मांगने की आवश्यकता नहीं है अतः वादी का आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है और वाद दिनांक .... वादी साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)